***प्रेस नोट*** ***20/03/2025***

**<u>ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 03 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष की साधारण कारावास व ₹4,000-4,000 के अर्थदंड से हुया दंडित-</u>**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 20-03-2025 को मु0अ0सं0 387/2017 धारा 323/504 भादवि व 3(1) घ एससी/एसटी थाना सरायलखन्सी में दोषसिद्ध अभियुक्तगण अभिराम पुत्र किशोर चौहान, गुलाबी देवी पत्नी अभिराम चौहान, श्री कृष्ण चौहान पुत्र साधू चौहान निवासीगण सरवा थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03-03 वर्ष की साधारण कारावास की सजा एवं ₹4,000-4,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री अखिलेश कुमार सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी विनोद चौरसिया थाना सरायलखन्सी का सराहनीय योगदान रहा।